न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 37 / 2025(GCMS 2025/235)
(RTI No. 212045139111967)

अजयपाल मित्तल पुत्र श्री मेघराज मित्तल निवासी वार्ड नं. 07 मंडी पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ – 335803

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अजयपाल मित्तल स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2025 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अजयपाल मित्तल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

अ उपनिवेशन विभाग, जयपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.04.1992 के जरिये विषय – ''मंडी पीलीबंगा में भवन निर्माण हेतु पीलीबंगा शिक्षण समिति कॉलेज की भूमि आवंटन बाबत'' विषयान्तर्गत जो भी आदेश / निर्देश श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के नाम भिजवाये गये थे। उन सभी की प्रमाणित छाया प्रतियां, उक्त पत्र दिनांक 28 अप्रैल 1992 की छयाप्रति सहित उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

ब. उपनिवेशन विभाग, जयपुर द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के नाम उक्त जो पत्र दिनांक 28 अप्रैल 1992 जारी किया गया था, उसके संबंध में, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कार्यालय श्रीगंगानगर में उपलब्ध मूल पत्रावली की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

स. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा, उस समय, उक्त पत्र दिनांक 28 अप्रैल 1992 पर, जो भी [illegible] जो भी आदेश / निर्देश किये गये थे, उन सभी की प्रमाणित प्रतियां सहित उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगनगर ने अपने पत्रांक एफ.12(11)( )राजस्व(आर.टी.आई.) / 2025 / 3408 दिनांक 29.10.2025 से अवगत करवाया है उनके द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 731–32

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 10.03.2025 से सूचना प्रेषित करवा दी गई है और अपने पत्रांक 731–32 दिनांक 10.03.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से प्राप्त प्रार्थना पत्र के द्वारा आप द्वारा चाही गई वांछित सूचना "विषय – 28 अप्रैल 1992 के जरिये मंडी पीलीबंगा में भवन निर्माण हेतु पीलीबंगा शिक्षण समिति कॉलेज की भूमि आवंटन बाबत" के सम्बन्ध में लेख है कि आप द्वारा चाही गई उक्त सूचना/दस्तावेज/पत्रावली की आज दिनांक तक कार्यालय रिकॉर्ड में तलाश की गई परन्तु आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई पत्रावली का पूर्ण विवरण स्पष्ट नहीं होने (आवंटन आदेश संख्या, दिनांक तथा पत्रावली संख्या अंकित नहीं होने) के कारण पत्रावली को तलाश करना संभव नहीं हो पा रहा हैं प्रार्थना में अंकित उक्त भूमि तहसील पीलीबंगा में आती है, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्राधिकार में है।
>
> प्रार्थना में अधूरे विवरण के कारण आप द्वारा चाही गई वांछित पत्रावली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अतः आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधूरा होने के कारण निरस्त किया जाता है। यदि आपके पास आवंटन पत्रावली संख्या/आवंटन आदेश का विवरण/प्रति उपलब्ध हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित करते हुए सम्बन्धित कार्यलय में पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक अधिकारी के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:30 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

"सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **फिर भी सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट को आदेशित किया जाता है कि** यदि अपीलार्थी वांछित सूचना से सम्बन्धित विवरण/दस्तावेज उपलब्ध करवा देवें तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:38:36 IST
Reason: SelfAttested